164.100.80.30

संख्या– 156/15–11–2012

प्रेषक,

सुनील कुमार
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0सी0ई0आर0टी0,
लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊः दिनांक 29 मार्च, 2012

विषयः निजी संस्थानों को दो वर्षीय बी0टी0सी0/एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम हेतु सरकार द्वारा सम्बद्धता तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र संस्तुति करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–रा0शै0/निशिसं/34614/2011–12, दिनांक 20–01–2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि निजी संस्थानों को दो वर्षीय बी0टी0सी0/एन0 टी0टी0 पाठ्यक्रम हेतु सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु भूमि या तो संबंधित संस्थान को शासनादेश के अनुसार लीज पर प्राप्त हो अथवा भू–राजस्व अभिलेख में संस्थान के नाम दर्ज हो। शासनादेश सं0–2702/15–11–2011 दि0–24 दिसम्बर, 2011 में दी गयी व्यवस्था के प्रकाश में संस्थान से संबंधित सोसायटी के नाम भूमि लीज पर प्राप्त होने की दशा में अनापत्ति प्रदान नहीं की जायेगी।

3– कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

29.3.12
(सुनील कुमार)
सचिव

पृ0सं0– 156 (1)/15–11–2012 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, निशातगंज, लखनऊ।
5. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ।
6. शिक्षा निदेशक (मा0), शिविर कार्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. शिक्षा निदेशक (बे0), उ0प्र0 लखनऊ।
8. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9. समस्त, प्राचार्य, डायट, उ0प्र0।
10. समस्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

29.3.12
(सी0पी0 सिंह)
अनु सचिव।